

प्रति,

श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र दुईखदान

विषय - : मुल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत बाबत ।

संदर्भ - ① भा. जि. दंडा. राजनादगोंव का प्रकरण क्र. 20180209/00009/24 वर्ष 2017-18 अनु. अधि. (रा.) गवर्डी दुईखदान क्र. 396 वाचक-1/अ. वि. अ. / 2019 दि. 05/03/2019 भावेदक पंचम पिता रमेश गोड निवासी ग्राम-गातापार ② संयुक्त मौका जांच दि. 29/03/2018 का प्रतिवेदन ।

महोदयजी,

संदर्भित प्रतिवेदन के तारनाम में परीक्षण करने मौका स्थल पर पहुँच संयुक्त जांच के आधार पर 02 नग स वृक्ष कटाई हेतु पात्र प्रतिन इच्छा है । जिलका मुल्यांकन गैर वाणिज्यिक दर के अनुसार निम्न है ।

क्र.	प्रजाति	छाति गोलाई	खेपे वृक्षों का दर छाति गोलाई के
1	सागौन	146	- 34700 III
2	सागौन	144	- 34700 III

अस्तु श्रीमान जी की सेवा में मुल्यांकन - वेदन अवलोकनार्थ एवं आग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सौंपे विन है ।

सलंगन - ① पूर्व में प्रस्तुत संयुक्त जांच प्रतिवेदन 1 प्रति में ।


सहा 0 पार 0 अधिकारी
गातापार (नाका)

प्रति हस्ताक्षर


परिक्षेत्र अधिकारी
दुईखदान (सा.)

कार्यालय राजस्व निरीक्षक संडल कुईलदान
बदलीला कुईलदान राजिआ राजानांदराते (क.ग.)

पुनर्

बदलीलादा

कुईलदान

विषय:- ग्राम गानापाट का प्र. नं. १२/ का स्वीभावन एवं
संयुक्त रूप से निरीक्षण प्रविवेदन

संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्र. / 1 नं. ०६ / 2017 दिनांक

उपरोक्त विषयानुसार प्रविवेदन है कि ग्राम

गानापाट प. नं. 31 में स्थित 20.00. १२/ प्रक. 0.910 है

का स्वीभावन एवं संयुक्त निरीक्षण दिनांक 29.3.018 को राज

निरीक्षण, हल्का पटवारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी गानापाट ग्राम

संयुक्त रूप से आवेदन की प्रत्यक्ष प्रकृति को एवं अन्य

स्वीभावन प्रकृति को उपरोक्त में किया गया स्वीभावन

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि प्र. नं. १२/ प्रक. 0.910

पर 2 नंग गीला स्नातक वृक्ष स्थित है प्रक. नं. १२/ में

स्नातक वृक्ष नाला में नहीं लगा है स्नातक काजी प्रक. 0.910

प्रक. 0.910 का प्रक. 0.910 है

काल प्रविवेदन उचित कार्यवाही हेतु सारा प्रक. 0.910

संदर्भ:- 1. नंगरा प्रक. 0.910 की प्रकृति

2. प्रक. 0.910

3. संयुक्त रूप से निरीक्षण प्रविवेदन

10.4.018
राजस्व निरीक्षक
कुईलदान

आज दिनांक 29/03/18 ग्राम गानापार

श्री पचम आ 2885 जाति गोड रकबा 0-910 हेक्टर का वन मण्डलाधिकारी एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारी विभाग के नाथन तहसीलदार एवं हल्का पटवारी के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया।

कलेक्टर महोदय के आदेश पत्र दिनांक के पालन अति कलेक्टर राजनांदगांव के आदेश पत्र दिनांक की कण्डिका में राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक छुईखदान एवं हल्का पटवारी सुनेश्वर के द्वारा तहसीलदार छुईखदान के सीमांकन आदेशानुसार किया गया है तथा राजस्व निरीक्षक प0ह0न 31 एवं सहायक परिक्षेत्राधिकारी महिपाल सिंह राजस्व काटे जाने वाले वृक्षों की गड़ है जिसमें इमारती एवं गैर इमारती वृक्षों की सूची संख्या सूची प्रकरण में संलग्न है संयुक्त स्थल निरीक्षण में वृक्षों का ज्ञान वृक्ष संख्या जिसकी सूची पृथक से प्रजातिवार संलग्न है।

इमारती वृक्ष रोपण नहीं किया गया है वृक्ष नसर्गिक है मण्डलाधिकारी की आवश्यकता नहीं है।

क/- आवेदक की भूमि जिस पर वृक्ष खड़े हैं उसका अन्विष्टा से कितनी दूरी पर है 100 मी इरी PF-231
ख/- यदि पी0एफ लाइन से दूर हो तो दूरी 100 मी इरी PF-231
ग/- क्या आवेदक की भूमि के अत्यंत समीप से पी0एफ लाइन गयी हुयी है नही
घ/- क्या प्रस्तावित वृक्ष काटने की अनुमति दिये जाने पर वन की भूमि से अवैध कटाई है नही

उक्त बिन्दुओं पर सीमांकन प्रतिवदन पिछे वृक्ष आदि अभिप्रेत तीन-तीनप्रतियो में संलग्न है।

(2) कण्डिका 4 के पालन में काटे जाने वाले वृक्षों की सूची अभिप्रेत प्रतियो में संलग्न है। धारा 240 के अंतर्गत वर्णित वृक्षों की सूची :-

- 1/- आम X
- 2/- जामून गणना सूची अनुसार X वृक्ष खड़े हैं।
- 3/- इमली वृक्ष X
- 4/- गहुआ गणना सूची अनुसार X
- 5/- बंदन X
- 6/- खजूर का छोड़कर छिड़वाड तथा पाम की समस्त प्रजाति X
- 7/- हरी

(3)

वृक्ष की कटाई की विनियमित या रोकने संबंधी नियम धारा 240

1- कोई वृक्ष ~~नहीं~~

क/- किसी जल धारा भरने या तालाब के किनारे के अंतिम कंगार से 30 मीटर के भीतर ~~नहीं~~

ख/- किसी सड़क या बेलगाड़ी के रास्ते के मध्य से 15 मीटर के भीतर तथा किसी पगडण्डी से 6 मीटर के भीतर ~~नहीं~~

ग/- किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की परिधि में समाविष्ट किसी उपवन में ~~नहीं~~

घ/- वन महोत्सव कार्यक्रम अथवा उसका सामान अन्य किसी योजनाओं के अधीन वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में ~~नहीं~~

ड/- पहाड़ कब्रिस्तान या शमशान, स्थल, गौठान, खलिहा, बाजार या आवदी के लिये पृथक किये किसी क्षेत्र में या ~~नहीं~~

च/- पहाड़ी तथा 250 से अधिक ढलान वाले उससे उचे नीचे क्षेत्र ~~नहीं~~

में तो काटा जावेगा न गिराया जावेगा न उसका तना छीन कर घेरा जावेगा ना ही उसे अन्यथा नुकसान पहुँचाया जावेगा ।

वन मण्डलाधिकारी की राय:-


24.3.018
राजेंद्र सिंह
मुख्य निरीक्षक
खुईखदान


सहायक निरीक्षक
गातापार (नाका)

नायब तहसीलदार


वनमण्डलाधिकारी

आज दिनांक 29/03/18 को ग्राम गातापार में खसरा नं. 31 में राजारव निरीक्षक
 छुईखदान हल्का पटवारी एवं वन विभाग को परिक्षेत्र सहायक मोदिपाल सिंह राजश्वर द्वारा
 उपस्थित होकर ग्राम गातापार में खसरा नं. 92/1
 रकबा 0.910 हे. को सीमाकन तथा संयुक्त स्थल निरीक्षका
 आवेदक भूस्वामी पंचम कल्प रस्टु गोड तथा अन्य सीमावर्ती कृषकों की
 उपस्थिति में किया गया। सीमाकन एवं संयुक्त स्थल निरीक्षक में निम्नलिखित प्रजाति के वृक्ष पाये
 गये हैं।

क्र.	खसरा नं.	वृक्ष के प्रजाति	गोलाई (से.मी.)	इमसति इमारती / फलदार	वृक्ष की हालत	रीमार्क
1	92/1	<u>सागौन</u>	146	-	<u>मीलनी</u>	<u>गीला</u>
2	-	<u>सागौन</u>	144	-	<u>इमारती</u>	<u>गीला</u>
3		<u>मेराज</u>	02 नश सागौन		<u>इमारती</u>	<u>गीला</u>
4						शमशानघात लगा हुआ है
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Rajput
 सहायक परीक्षक अधिकारी
 गातापार (नाका)

29/03/2018
 40737

29/03/18
 राजारव निरीक्षक
 छुईखदान

① खसरा
उपेक्षित - राजश्वर (कालाह)
फाँस
भगवती